



वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम / 617

**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक: जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा / प्रे. 4223दि. 06.03.13

आदेश


विषय: विद्युत अधिनियम-2003 में निहित प्रावधानानुसार प्रशमन राशि (Compounding Charges) एवं वैधानिक दायित्व (Civil Liability) के लिए ली जाने वाली राशि की गणना कर नोटिस जारी करने का प्रपत्र (Format)।

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में वैधानिक दायित्व (Civil Liability) एवं प्रशमन राशि (Compounding Charges) लिये जाने के संदर्भ में आदेश क्र. वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/614 के तहत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में विद्युत चोरी में पाये गये व्यक्तियों को उनके द्वारा वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि निर्धारित अवधि में जमा करवाने हेतु दिये जाने वाले नोटिस का प्रारूप पूर्व में आदेश क्र. वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/421 एवं आदेश क्र. वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/424 के तहत निर्धारित किया गया था, जिसका संशोधित प्रारूप अनुलग्नक "अ" अनुसार पुनः निर्धारित किया गया है।

उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश क्र. वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/421 एवं आदेश क्र. वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/424 को निष्प्रभावी (Supersede) करते हुए जारी किया जाता है।

आज्ञा से



(पी.एम. खत्री)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvn1.com पर भी उपलब्ध है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर संभाग/बीकानेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियन्ता (आईटी-ट्रे), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गौराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक सहायक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।


अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 02

अनुलग्नक - "अ"

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
कार्यालय जांच अधिकारी

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./ / /एफ /प्रे. दि.

नोटिस

प्रेषित,

श्री ----- पुत्र श्री ----- ग्राम -----
तहसील/जिला ----- पुलिस थाना ----- उपभोक्ता खाता संख्या -----
/गैर उपभोक्ता वीसीआर नम्बर ----- दिनांक ----- श्रेणी -----
सम्बद्ध भार ----- स्वीकृत भार ----- जांच अधिकारी सहायक अभियन्ता
-----, जो.वि.वि.नि.लि., ----- ।

आपके ----- स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में -----
को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत
विद्युत की चोरी करना पाया गया है जो कि कानूनन अपराध है।

विद्युत चोरी का विवरण सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या ----- दिनांक -----
जो मौके पर तैयार किया गया है, संलग्न प्रतिलिपि में दिया गया है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की
धारा 152 के अन्तर्गत, प्रथम अपराध के लिए प्रशमन का प्रावधान है, आप चाहें तो उक्त
अपराध का प्रशमन कराने के लिए रु. ----- प्रशमन राशि (Compounding
charges) एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत रु. ----- अनन्तिम
(प्रोविजनल) सिविल लाइबिलिटी की राशि निगम को सात दिवस के भीतर सहायक
अभियन्ता () जो.वि.वि.नि.लि. ----- के कार्यालय में जमा करवायें अन्यथा
आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न -

जांच अधिकारी
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता () जो.वि.वि.नि.लि., ----- ।

जांच अधिकारी